MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 16.08.2025

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 108 वाहनों का चालान किया गया व एक वाहन सीज किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएनएस मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. "मिशन शक्ति अभियान"- मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन के प्रति महिलाओं बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरुक।

4. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 34 पुलिस एक्ट मे 05 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

जनपद के थानों द्वारा की गयी कार्यवाही

थाना पुरन्दरपुर द्वारा की गयी कार्यवाही- गणेश उर्फ धनेश पुत्र रामजी निवासी झामट थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के पास से 38 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब प्रत्येक 200 मिली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 183/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

2. अभियुक्त प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र मधुसूदन प्रसाद निवासी कोट कम्हरिया थाना पुरन्दरपुर के पास से 42 टेट्रा पैक देशी शराब प्रत्येक 200 मिली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता सरोज देवी पत्नी कन्हैया जायसवाल निवासी ग्राम नदुआ थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के पास से अवैध 50 टेट्रा पैक बन्टी बबली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 453/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना भिटौली द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुग्रीव पुत्र कन्हई निवासी शिकारपुर थाना भिटौली के कब्जे से 14 अदद अवैध बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना पनियरा द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सदानन्द पुत्र रामनरेश वार्ड नं 10 नगर पंचायत पनियरा थाना पनियरा जनपद महराजगंज द्वारा गोमती में अवैध तरीके से बीयर रखना बरामदगी 12 अदद किंगफिशर बीयर बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

***5.** पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में* पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु संवाद किया गया।

***6.** विवेचना निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 13 विवेचना का निस्तारण किया गया।

***7.** जनपद में 15/16-08-2025 को विभिन्न अपराधों में कुल-* 08 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।